राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:-एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड/आकाशि/2025/ दिनांक: यथाहस्ताक्षर

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषय:-सत्र 2025-26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.एड.-2 वर्षीय एवं बी.ए.बी.एड. /बी.एससी.बी.एड.-4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु चतुर्थ सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (बी.एड.-2 वर्षीय एवं बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.-4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की चतुर्थ सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.एड. (2 वर्षीय) एवं बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेगें।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय **स्वयं के स्तर पर** अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या **अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।**
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
   V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगूलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

3/7/25
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी-7,सेक्टर-10 ,द्वारका,नई दिल्ली-110075।
6. रजिस्ट्रार, समस्त राजपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

B.A.B.Ed./B.SC.B.ED. (4 year Integrated)

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Category	Seats
		Shiksha B.A. B.Ed. Mahavidhyalaya,	Road, Tehsil-Khandela, Sikar			
62	Sikar	Prince Academy of Higher Education Kanya College,	Village -Nani, Palwas Road, Tehsil-Sikar, District-Sikar-332001	Sikar	महिला	100
63	Sikar	Rajdhani College,	Village -Khandela, Palsana Road, Tehsil-Khandela, District-Sikar	Khandela	सहशिक्षा	100
64	Sikar	S.B.S.Memorial T.T.College,	Village-Sabalpura, NH-11, Tehsil- Dhood, Dist.-Sikar-332001	Dhood	सहशिक्षा	100
65	Sikar	Salasar Balaji B.Ed. College	Plot No. 555, Village-Behing Circuit House RD, Tehsil-Sikar, Dist-Sikar	Sikar	सहशिक्षा	100
66	Sikar	Sambal College of Education,	Village-ShivSinghpura, Tehsil-Sikar	Sikar	सहशिक्षा	100
67	Sikar	Sanskar Girls College,	Plot No. 1296/1, Jeen Mata Bye Pass Road, Village-Danta Ramgarh, Dist.-Sikar-332702	Danta Ramgarh	सहशिक्षा	100
68	Sikar	Saraswati Shikshan Sansthan	Village-Fatehpur Shekhawati, Churu Road, Tehsil-Fatehpur Shekhawati, District-Sikar-	Fatehpur Shekhawati	सहशिक्षा	100
69	Sikar	Sharda Sadan College of Education,	Survey No-604, Village-Mandholi, Khetri Road, Tehsil-Neem Ka Thana, Dist.-Sikar-332713	Neem Ka Thana	सहशिक्षा	100
70	Sikar	Shekhawati P.G. College,	Khasara No.29/3/1, village-Kanwat, By pass Road, Tehsil-Neema Ka Thana, District-Sikar-332708	Neem Ka Thana	सहशिक्षा	100
71	Sikar	Shekhawati Teacher Training Institute	Plot No. 555, Village-Behing Circuit House RD, Tehsil-Sikar, Dist-Sikar	Sikar	सहशिक्षा	100

सुनील भाटी
अतिरिक्त आयुक्त

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (369/146) आकाशि/अनु/04/282 दिनांक 6 फरवरी, 2009

संशोधन आदेश

समसंख्यक आदेश क्रमांक 10189 दिनांक 30.12.08 के क्रम में शेखावाटी पी.जी. कालेज, बाईपास रोड, कांवट, सीकर को सत्र 2009–10 हेतु जारी आदेश को अतिक्रमित करते हुए महाविद्यालय को **स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र** एतद् द्वारा जारी किया जाता है ।

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, सीकर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
8. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय **(रजिस्टर्ड ए.डी.)**
9. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
11. रक्षित पत्रावली ।

5.2.9

(डा0–सुशील शाह)
संयुक्त–निदेशक (अनुदान),
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।